

දෙමව්පියන්ගේ සහ ඥාතීන්ගේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් දුස්ලාමයේ ස්ථාවරය කුමක්ද?

"और (ऐ बंदे) तेरे पालनहार ने आदेश दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो, तथा माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। यदि तेरे पास दोनों में से एक या दोनों वृद्धावस्था को पहुँच जाएँ, तो उन्हें 'उफ़' तक न कहो, और न उन्हें झिड़को, और उनसे नरमी से बात करो।" और दयालुता से उनके लिए विनम्रता की बाँहें झुकाए रखो और कहो : ऐ मेरे पालनहार ! उन दोनों पर दया कर, जैसे उन्होंने बचपन में मेरा पालन-पोषण किया।" [246] [सूरा अल-इसरा : 23-24]

"और हमने मनुष्य को अपने माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने की ताकीद दी। उसकी माँ ने उसे दुःख झेलकर गर्भ में रखा तथा दुःख झेलकर जन्म दिया और उसकी गर्भावस्था की अवधि और उसके दूध छोड़ने की अवधि तीस महीने है। यहाँ तक कि जब वह अपनी पूरी शक्ति को पहुँचा और चालीस वर्ष का हो गया, तो उसने कहा : ऐ मेरे पालनहार ! मुझे सामर्थ्य प्रदान कर कि मैं तेरी उस अनुकंपा के लिए आभार प्रकट करूँ, जो तूने मुझपर और मेरे माता-पिता पर उपकार किए हैं। तथा यह कि मैं वह सत्कर्म करूँ, जिसे तू पसंद करता है तथा मेरे लिए मेरी संतान को सुधार दे। निःसंदेह मैंने तेरी ओर तौबा की तथा निःसंदेह मैं मुसलमानों (आज्ञाकारियों) में से हूँ।" [247] [सूरा अल-अहक्राफ़ : 15]

"और रिश्तेदारों को उनका हक्क दो, तथा निर्धन और यात्री को (भी) और अपव्यय न करो।" [248] [सूरा अल-इसरा : 26]

දුස්ලාමය පිළිබඳ ප්රශ්න හා පිළිතුරු

පිටුව: [000000: 000000: // 0-000000.000/00/00/0000/94/](#)

පිටුව: [000000 000000: 000000: // 0-000000.000/00/00/0000/94/](#)

000000 2400 00 000000 2026 07:28:18 00